

(B)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY

सं० 85 | नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1969/वैशाख 22, 1891

No. 85 | NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1969/VAISAKHA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May 1969

G.S.R. 1123.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 1969
2. In rule 10 of the Food Corporations Rules, 1965,—
 - (i) in sub rule (1), the proviso shall be omitted;
 - (ii) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that no person who has attained the age of 58 years shall be appointed to any post carrying a basic pay of Rs. 2,500/- per month and above except with the previous approval of the Central Government”

[No. F. 8-1/69 FCC]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt Secy

खाद्य, कृषि, सामुद्रिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1969

सा० का० नि० 1124 ---खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खाद्य निगम, नियम, 1965 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. ये नियम खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।
2. खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 10 में,—
 - (i) उपनियम (1) में परन्तुक लुप्त कर दिया जाएगा;
 - (ii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक

अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, 2,500 रुए मासिक या उससे ऊपर के आधारारी वेतन वाले किसी भी पद पर, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, नियुक्त नहीं किया जाएगा ।”

[सं० फा० S-1/67-भा० खाद्य० निगम]

आर० बालमुब्रमनयम्,
संयुक्त सचिव ।